न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

प्रशासकीय सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 3248–एक/2012, विरूद्ध आदेश दिनांक 24–07–2012 पारित द्वारा न्यायालय अपर कलेक्टर जिला–राजगढ़ द्वारा प्रकरण कमांक 79/अ–27/निगरानी/2011–12

....

बापूगिर आ0 श्री गुलाब गिर
निवासी–ग्राम बुचाखेड़ी, तहसील पचौर
जिला–राजगढ़

.... आवेदक

विरूद्ध

1– मनोहर गिर आ0 श्री गुलाब गिर
2– दीपक गिर आ0 स्व0 श्री अशोक गिर(अवयस्क)
3– राहूल गिर आ0 स्व0 श्री अशोक गिर(अवयस्क)
द्वारा संरक्षक चचेरा भाई भंवरलाल आ0 श्री बापू गिर
सभी निवासीगण– ग्राम बुचाखेड़ी, तहसील पचौर
जिला–राजगढ़

.... अनावेदकगण

....

श्री प्रेमसिंह ठाकुर, अभिभाषक, आवेदक
श्री मेहरबान सिंह, अभिभाषक , अनावेदकगण

....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 9/1/5 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय अपर कलेक्टर जिला–राजगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–07–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम बुचाखेड़ी तहसील पचौर जिला राजगढ़ म0प्र0 स्थित सर्वे क्रं0 526, 527, 533, 609/1 एवं 610 कुल किता 4 व रकबा 4.502 हैक्टयर भूमि राजस्व रिकार्ड में आवेदक, अनावेदक एवं अनावेदक क्र0 2 व 3 के पिता अशोक गिर के नाम दर्ज थी । अनावेदक क्र0 2 व 3 के पिता अशोक गिर का स्वर्गवास होने के बाद अनावेदक क्र0 1 द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करते हुये राजस्व रिकार्ड में बंटवारा करने का निवेदन किया । तहसील न्यायालय में प्रकरण दर्ज होने के उपरांत नियमानुसार दिनांक 24.11.2009 को सम्पूर्ण भूमि का बंटवारा करने का आदेश पारित किया गया । न्यायालय तहसील द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.11.2009 से असंतुष्ट होकर आवेदक द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी जिला राजगढ़ के समक्ष संहिता की धारा 5 के साथ अपील प्रस्तुत की गई । न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 25.05.2012 को अपील स्वीकार कर ली गई । उक्त पारित आदेश दिनांक 25.05.2012 के विरूद्ध अनावेदक क्र0 1 द्वारा अपर कलेक्टर जिला राजगढ़ के समक्ष निगरानी पेश की गई, जो प्रकरण क्र0 79/अ–27/निग0/2011–12 पर दर्ज होकर पारित आदेश दिनांक 24.07.2012 से प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की गई । अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.07.2012 से असंतुष्ट होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा लिखित तर्को में मुख्य रूप से यह बताया गया है कि विलम्ब परिमार्जन के आवेदन पत्र के निराकरण के लिये इस तथ्य पर विचार किया जाना आवश्यक है कि हितबद्ध पक्षकारों को नियमानुसार सूचना पत्र कि तामीली कराई गयी है या नहीं । विचाराधीन प्रकरण में अधीनस्थ तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 28.10.2009 के पेशी के सम्बन्ध में सूचना पत्र जारी किया गया है, तथा सूचना पत्र मनोहर गिर (जो तहसील न्यायालय के समक्ष स्वयं आवेदक है) द्वारा प्राप्त किया गया है । जबकि सूचना पत्र की तामीली आवेदक (जो तहसील न्यायालय के समक्ष अनावेदक है) को कि जानी चाहिए थी। उक्त तथ्य यह पूर्णतः प्रमाणित है कि अनावेदक क्र0 1 द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष छल–कपट से बंटवारा आदेश पारित किया गया है । परन्तु अपर कलेक्ट राजगढ़ द्वारा उक्त महत्वपूर्ण तथ्य पर विचार किये बिना ही विवादित आदेश पारित के द्वारा आवेदक कि अपील को समयावधि बाह्य मानने में त्रुटि कि गयी है । सूचना पत्र तहसील न्यायालय कि नस्ती में पेज नं0 09 पर संलग्न है । अधीनस्थ

न्यायालय ने विवादित आदेश पारित करने से पूर्व इस तथ्य पर भी विचार नहीं किया कि बटवारें कि कार्यवाही अनावेदक क्र0 1 के अतिरिक्त अन्य भी हितबद्ध पक्षकार थे । इसलिये सभी हितबद्ध पक्षकारों को सूचना पत्र जारी करना आवश्यक था, परन्तु अधीनस्थ तहसील न्यायालय सभी हितबद्ध पक्षकारों को सूचना पत्र जारी ही नहीं किये गये । तथा तहसील न्यायालय द्वारा यह भी स्पष्ट नहीं किया कि विवादित भूमि से संबंधित हितबद्ध पक्षकारों को सूचना पत्र जारी क्यों नहीं किये गये । आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क में यह भी कहा है कि अधीनस्थ तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 28.10.2009 के पेशी के संबन्ध में सूचना पत्र जारी किया गया है । पन्तुत तहसील न्यायालय द्वारा सूचना पत्र में उल्लेखित पेशी दिनांक 28.10.2009 को प्रकरण में कोई कार्यवाही न करते हुए दिनांक 16.11.2009 को आवेदक के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने के आदेश दिये गये है, जबकि पेशी दिनांक 16.11.2009 के सम्बन्ध में कोई सूचना पत्र ही जारी नहीं किया गया था । ऐसी स्थिति में पेशी दिनांक 16.11.2009 कि सूचना के अभाव में आवेदक कि ओर से तहसील न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना सम्भव ही नहीं था । विधि का यह मान्य सिद्धान्त है कि अवैधानिक आदेश के विरूद्ध समयसीमा की बाध्यता लागू नहीं होती है, क्योंकि तहसील न्यायालय को अधिनियम में बंटवारें के सम्बन्ध में निर्धारित प्रक्रिया पालन नहीं किया गया । प्रकरण की नस्ती के अवलोकन से यह प्रथम दृष्टया ही प्रमाणित है कि तहसील न्यायालय द्वारा बटवारें कि विवादित कार्यवाही केवल अनावेदक क्र0 1 को लाभ पहॅुचाने के उद्देश्य से की गई है । तर्क में यह भी कहा गया है कि अनावेदक क्र0 1 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं शपथ पत्र का कोई स्पष्ट खण्डन नहीं किया गया था । परिणाम स्वरूप अखण्डनीय शपथ पत्र एवं आवेदन पत्र पर अविश्वास करने का कोई कारण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नहीं था । लिखित तर्क में यह भी बताया कि आवेदक ने संहिता की धारा 5 के आवेदन पत्र में यह स्पष्ट उल्लेख किया है कि आवेदक को तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश कि जानकारी नहीं थी । क्योंकि आवेदक को अधीनस्थ तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक को सूचना पत्र ही जारी नहीं किया गया । विधि का यह मान्य प्रावधान है कि मौके पर फर्द बटान बनाये जाने से पूर्व हितद्ध पक्षकारो को फर्द बटान के सम्बन्ध में नियमानुसार सूचना दिया जाना आवश्यक है । अधीनस्थ तहसील न्यायालय द्वारा फर्द बटान बनाये जाने के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई । अधीनस्थ तहसील न्यायालय द्वारा एकपक्षीय रूप से बनायी फर्द बटान के आधार पर बटवारे कि कार्यवाही की गयी । विधि का यह नैसर्गित

सिद्धांत है कि प्रकरण में यदि गुण–दोषों के आधार पर उभय पक्षों को सुनवाई का अवसर देते हुए आदेश पारित किया जाता है तो पक्षकारों को कोई क्षति होने कि सम्भावना नहीं है बल्कि इसके विपरीत नियमानुसार सुनवाई किये जाने से पक्षकारों को उचित न्याय प्राप्त होगा । अंत में आवेदक के अधिवक्ता द्वारा अपर कलेक्टर के आदेश को निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है ।

4/ अनावेदकगण के अधिवक्ता द्वारा तर्कों में यह बताया गया है कि अनावेदक द्वारा दिनांक 29.06.2009 को एक आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में बंटवारा हेतु प्रस्तुत किया था, जिसमें विधिवत रूप से उद्घोषणा जारी की गई थी तथा आवेदक को भी सूचना पत्र तामील कर दिया था, किन्तु आवेदक उपस्थित नहीं हुआ और उसके विरूद्ध दिनांक 16.11.09 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई, तदपरांत अनावेदक के कथन लिये गये फर्द बटान तलब किया और दिनांक 24.11.09 को नायब तहसीलदार टप्पा पचौर द्वारा आदेश पारित करते हुये अनावेदक का बटवारा आवेदन स्वीकार किया जाकर बटवारा आदेश पारित किया गया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 05 के प्रावधानों को समझे बिना आवेदन स्वीकार कर अपील को सुनवाई ग्रहण करने में भूल की है । तर्क में यह भी कहा गया है कि आवेदक द्वारा स्वयं ने अपने आवेदन में व अपील मेंमो में आदेश की प्रतिलिपि मिलने की दिनांक 09.11.2011 अंकित की ओर अपील दिनांक 24.11.2011 को प्रस्तुत की गई है । इस 15 दिवस के विलंब के बारे में कोई कारण अंकित नहीं किया है और यह 15 दिवस का विलंब नकल मिलने के पश्चात का है जो किसी तरह से क्षमा किये जाने योग्य नहीं है । अंत में अनावेदक के अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्थिर रखते हुये निगरानी खारिज किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा पारित आदेशों सूक्ष्मता से अध्ययन किया गया। अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट है कि बंटवारा प्रकरण में तहसीलदार ने निगरानीकर्ता को जो नोटिस जारी किया वह उन पर तामील न होकर अनावेदक मनोहर गिर ने प्राप्त किया । स्पष्ट है कि तहसील में विधिवत आवेदक को सूचना नहीं दी गई तथा उनके अनुपस्थिति में आदेश पारित किया गया । इसी आधार पर अनुविभागीय अधिकारी ने उनकी अपील को समयावधि में स्वीकार किया । पीठ पीछे पारित आदेश जिसमें कि पक्षकार के हित निर्हित हो को कभी भी चुनौती दी जा सकती है । विशेष रूप से तक जबकि दूसरे पक्ष ने ऐसा कोई प्रमाण न दिया हो कि उसको किसी अन्य तरीके में

आदेश की जानकारी थी । अपर कलेक्टर ने मात्र इस आधार पर कि प्रतिदिन के विलम्ब का कारण नहीं बताया अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया । जबकि प्रतिदिन के विलम्ब का कारण इस प्रकरण में लागू नहीं होता । वह उन प्रकरणों में लागू होता है जहाँ आदेश की जानकारी हो लेकिन फिर भी विभिन्न कारणों में विलम्ब से अपील पेश की गई है ।

6/ उक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में निगरानी स्वीकार की जाती है । अपर कलेक्टर का आदेश दिनांक 24.07.2012 निरस्त किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर